जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के प्रबंध पर्षद की बैठक दिनांक 05.03.2006 की कार्यवाही

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के प्रबंध पर्षद की बैठक उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित हुएः -

उपस्थितिः -

1. माननीय सांसद श्री धीरेन्द्र अग्रवाल।
2. माननीय विधायक श्री रामचन्द्र सिंह।
3. माननीय विधायक श्री प्रकाश राम।
4. उप विकास आयुक्त, लातेहार।
5. निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।
6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वाणिकी, लातेहार।
7. परियोजना पदाधिकारी, मेसो क्षेत्र, लातेहार।
8. अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार।
9. कार्यपालक अभियंता लघु सिचाई प्रमंडल, लातेहार।
10. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार।
11. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लातेहार।
12. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार।
13. कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण पथ प्रमंडल, लातेहार।
14. कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, लातेहार।
15. असैनिक शल्य चिकित्सक, सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार।
16. जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार।
17. जिला मत्स्य पदाधिकारी, पलामू सह-लातेहार।
18. जिला पशुपालन पदाधिकारी, पलामू सह लातेहार।
19. प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पलामू सह लातेहार।
20. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, लातेहार।
21. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वाणिकी, लातेहार।
22. सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, लातेहार।
23. जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सह परियोजना एवं प्रसार पदा0, नेतरहाट।
24. भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार।
25. प्रभारी उप समाहर्ता विकास।

- **कार्यवाहीः -**

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त, लातेहार द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय सांसद, श्री धीरेन्द्र अग्रवाल, माननीय विधायक, श्री रामचन्द्र सिंह तथा श्री प्रकाश राम के साथ ही सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन किया गया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उप विकास आयुक्त

द्वारा दिनांक 08.10.2005 को आयोजित प्रबंध पर्षद की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में कंडिकावार जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी गई।प्रबंध पर्षद की दिनांक 08.10.2005 की बैठक की सम्पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार द्वारा भी बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया तथा उनके द्वारा सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि प्रबंध पर्षद की बैठक दिनांक 08.10.2005 में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार अधिकांश योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा चुका है तथा योजना की प्रगति संतोषजनक है। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा योजनाओं के संतोषप्रद कार्यान्वयन पर सहमति व्यक्त की गई।

- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाः -**

उपायुक्त, लातेहार द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन से कहा गया कि उनसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं की स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परन्तु प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, लातेहार द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निरीक्षण के कम में सभी योजनाएं सही पाई गई है।

उपर्युक्त टिप्पणी पर माननीय सासंद श्री धीरेन्द्र अग्रवाल द्वारा सिकनी से रिचुघुटा तक सड़क निर्मित सड़क पर असंतोष व्यक्त किया गया। माननीय विधायक, श्री प्रकाश राम द्वारा शिकायत की गई कि जुबली चौक से डिही मुरुप तक निर्मित सड़क असंतोष जनक है। माननीय विधायक, श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा शिकायत की गई कि डोमाखांड़ सड़क असंतोषजनक है।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त सड़क की गुणवत्ता में सुधार किया जाय।

माननीय सांसद द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं का जांच प्रतिवेदन 21-22 मार्च 2006 तक कर ली जाय,ताकि जिला स्तरीय निगरानी समिति की आगामी बैठक में समुचित समीक्षा की जा सके। साथ ही उपायुक्त द्वारा भी चेतावनी दी गई कि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई हेतु सरकार को लिखा जायगा।

कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, लातेहार द्वारा आगे बताया गया कि पैकेज 2 के लिए 2 (दो) सड़के PMGSY से स्वीकृत है, जो निम्नवत् हैंः -

1. प्रखण्ड बालुमाथ में ग्राम इटके से मनातू भया बचरा सड़क निर्माण - 12.5 कि. मी.

2. प्रखण्ड बालुमाथ में PWD बारियातु से झील भटकोमा तक सड़क निर्माण -12.5 कि.मी.।

PMGSY का वार्षिक उदव्य राशि के वित्तीय वर्ष 2005-06 में 284.00 (दो करोड़ चौरासी लाख) रू0 बताया गया। इस पर उपायुक्त द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही कहा गया कि यह राशि बहुत कम है व इससें कम दूरी की सड़क बन पाएंगी।

- **वन विभागः -**

वन प्रमंडल पदाधिकारी (टेरिटोरियल) लातेहार द्वारा बताया गया कुछ शर्तों के साथ वन क्षेत्र में पहुॅच बनाने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। जहां तक पक्की सड़क निर्माण का प्रश्न है। इसके लिए वन विभाग के अधिनियम को देखकर उचित कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त ने इस संबंध में उनसे सहयोग की अपेक्षा की।

- **DPAP (जलछाजन): -**

उप विकास आयुक्त, लातेहार द्वारा बताया गया कि जलछाजन योजना की बैच सं0 8 के तृतीय किस्त की राशि की मांग हेतु सरकार को कईबार पत्राचार किया जा चुका है। परन्तु राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 11वी. बैच की राज्यांश की राशि प्राप्त हो चुकी है। 10वी. बैच की राज्यांश की राशि प्राप्त नहीं हुई है। राशि की मांग हेतु पत्राचार किया गया है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियमः -**

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि ''राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना'' हेतु पंचवर्षीय Perspective Plan पिछले वर्ष प्रबंध पर्षद की बैठक में पारित कराया गया था। परन्तु अब वित्तीय वर्ष 2006-07 में NREGA योजना लागू होने से परिवर्तन की आवश्यकता हो गई है। यह भी विदित हो कि NREGA के तहत् कम से कत 50% राशि सीधे पंचायत को भेजा जाना है।

उपायुक्त द्वारा आगे बताया गया कि लातेहार जिला में कुल 115 पंचायत में मात्र 78 पंचायत सेवक का पद ही स्वीकृत है तथा वे सभी कार्यरत हैं। शेष 37 नया पंचायत में पंचायत सेवक का पद रिक्त है, जिसके कारण NREGA योजना का कार्य कराने में कठिनाई होगी।

सर्वसम्मति से 37 (सैंतीस) रिक्त पंचायत सेवक के पद के पद सृजन हेतु सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।

इसी कम में उपायुक्त, महोदय द्वारा बताया कि NREGA के कंडिका 16 के अनुसार ग्राम सभा द्वारा ही परियोजनाएं पारित की जाएगी।

माननीय विधायक, श्री प्रकाश राम द्वारा बताया गया कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव है,अतः ऐसी स्थिति में सही योजनाओं हेतु जागरूकता वृद्धि हेतु बल दिया गया।

माननीय सांसद द्वारा निदेश दिया गया कि ग्राम सभा द्वारा चयनित/कार्यान्वित कराये जाने वाली योजनाओं के लिए ग्राम सभा की बैठक की विडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराई जाय।

उपायुक्त द्वारा प्रत्येक योजना हेतु जन प्राक्कलन (People's Estimate) तैयार करने निदेश दिया गया व स्पष्ट किया गया कि योजना के Work Sight Book, मजदूरों की संख्या, सामग्री की मात्रा तथा सामग्री कार्य स्थल पर कितनी दूरी से लाई जा रही है इसका भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है। सरल प्राक्कलन बनाने पर बल दिया गया। सांसद/विधायक एवं पदाधिकारियों के भ्रमण के कम Work Sight Book नही पाये जाने पर अभिकर्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायगी। साथ ही कार्य स्थल पर साइन बोर्ड लगाने का भी निदेश दिया गया। गलत ढ़ंग से Project का प्रस्ताव बनाने पर दंडित किया जाएगा। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि NREGA के अंतर्गत प्रत्येक योजना हेतु जन प्राक्कलन (People's Estimate) तैयार करने के पश्चात् ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपायुक्त द्वारा यह विचार रखा गया कि लातेहार जिलांतर्गत सभी निबंधित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान डाकघर अथवा बैंक के माध्यम से हो, ताकि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके तथा किसी भी अवस्था में लिंगाधारित या अन्य भेदभाव न हो।

उपायुक्त ने चर्चा कि लातेहार जिलांतर्गत सभी निबंधित श्रमिकों का 'जनश्री बीमा योजना' के अंतर्गत सामूहिक बीमा कराये जाने की योजना है, जिसमें प्रत्येक इच्छुक व वयस्क श्रमिक को साल में 100/- रू. मात्र प्रीमियम देना होगा तथा शेष 100/-रू. सरकार द्वारा दिया जायेगा। दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की अवस्था में 50,000/- तथा घायल होने पर 20,000/- के मुआवजा भुगतान का प्रावधान है। साथ ही बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दो बच्चों को कक्षा नवमी से बारहवीं तक 100/- प्रति माह छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करायी जायेगी।

उपायुक्त द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि लातेहार जिलांतर्गत कार्य के कियान्वन हेतु सामूहिकता के सिद्धांत पर बल दिया जा रहा है तथा ग्राम सभा की सहमति से उस ग्राम में कार्यरत स्वयं सहायता समूह, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूह, जल उपभोक्ता समिति, वन विकास समिति/इको विकास समिति आदि को प्राथमिकता दी जायेगी।

सर्व सम्मति से उपरोक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि ''राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना'' में मशीन का उपयोग वर्जित है। परन्तु NREGA योजना में आवश्यकता अनुसार मशीन का उपयोग में छूट दी गई है। इसपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सांसद द्वारा बताया गया कि शेष NREGA की 50% राशि से जिला स्तर से कार्य कराया जा सकता है। तथा इस राशि से छोट-छोटे पुल/पुलिया का निर्माण कराया जा सकता है।

सर्वसम्मति से उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त कर''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना'' हेतु पंचवर्षीय Perspective Plan तथा वर्ष 2006-07 हेतु वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई तथा पिछले वर्ष ''राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना'' के अंतर्गत स्वीकृत एवं वर्तमान में निर्माणाधीन सभी योजनाओं को वर्ष 2006-07 के वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

सांसद महोदय द्वारा सुखाड़ के कारण पानी की समस्या को देखते हुए प्रत्येक प्रखण्ड में पुस्तकालय, वाचनालय, पशुचारा गोदाम सभी चापानल को ठीक कर पशु पेयजल हेतु हौज एवं छोटे-छोटे चेकडेम/बांध तथा मुख्य स्थान यथा हाट बाजार, प्रखंड मुख्यालय पर पियाउ के निर्माण पर बल दिया गया।

- **वाचनालय भवनः -**

उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि पूरे जिला में 745 ग्राम है।। साक्षरता अभियान के तहत् सभी जगह पुस्तकें दी जा रही है। चूंकि तत्काल सभी ग्रामों में वाचनालय भवन बनाना संभव नहीं है, अतः जहां सामुदायिक भवन, आगंनबाड़ी या विद्यालय भवन हैं उसे वाचनालय के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

- **पशुचाराः -**

जिला पशुपालन पदाधिकारी, लातेहार से पशुचारा हेतु बजट बनाकर भेजने का निदेश दिया गया।

- **पशुओं के लिए पानीः -**

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत लातेहार जिलांतर्गत सभी 745 गांवों में विधिवत ग्राम प्रधान का मनोनयन का इसे जिला गजट में प्रकाशित किया जा चुका है तथा प्रत्येक ग्राम हेतु ग्राम कोषाध्यक्ष के विधिवत मनोनयन की प्रक्रिया की जा रही है तथा इसे इसी माह मार्च 2006 में पूर्ण कर सभी ग्राम सभाओं का बैंक में खाता संधारित कर प्रत्येक ग्राम सभा को 50,000/- की राशि हस्तांतरित कर की जायेगी।

इस राशि से ग्राम सभा की सहमति से झारखंड पंचायती राज अधिनियम के धारा 10 (क) के अंतर्गत कमांक (XV) में वर्णित सार्वजनिक कुंओं और तालाबों का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा घरेलू उपयोग के लिये पेयजल की उपलब्धता, कमांक (XVI) में वर्णित नहाने,धोने व पालतू पशुओं को पीने के लिये पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता व उनका

अनुरक्षण व कमांक (XXXVI) में वर्णित वृक्षारोपण एवं ग्राम वनों के संरक्षण के कार्यों से जलसंकट से बचा जा सकेगा व भूमि व जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

➢ **पेयजल एवं स्वच्छताः -**

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखंड में पेयजल आपूर्ति हेतु आठ गाड़ियों का प्रबंध किया गया है, जिसके माध्यम से प्रखंडों के 200 चापानलों, छः मीटर पाईप बदलने तथा 398 चापानल को पूर्ण रूप से बदलने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए Action Plan सरकार को भेज दिया गया है। परन्तु अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। उनसे पत्र प्रेषण की संख्या तथा तिथि की मांग की गई, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

उपायुक्त द्वारा खेद व्यक्त करते हुए कहा गया कि पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जो भी सामग्री आती है, मुश्किल से आती है उसे दुसरे जिले में भेज दिया जाता है, जिसके कारण लातेहार जिला उस लाभ से वंचित हो जाता है।

➢ **उद्वह सिंचाई योजनाः -**

माननीय विधायक, श्री प्रकाश राम द्वारा बताया गया कि उद्वह सिंचाई की योजनाएं बिना सूचना के विभाग को स्वीकृति हेतु भेज दी जाती है।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा बताया गया कि अधीकांश योजना माननीय सांसद एवं विधायक के जानकारी के पश्चात् ही योजनाएं ली जाती है। इस पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए सांसद महोदय द्वारा कहा गया कि सभी योजना माननीय सदस्य की अनुशंसा पर ली जानी चाहिए थी।

माननीय सांसद व माननीय विधायक गणों से उपायुक्त द्वारा लातेहार तथा मनिका विधान सभा क्षेत्र से 25-25 उद्वह सिंचाई योजना हेतु सूची उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया, जिसके लाभान्वित अ0 जा0/अ0 ज0 जा0 होंगे तथा प्राक्कलन का 10% राशि Contribution के रूप में जमा करना होगा। कुछ ग्रामों में अ0जा0/अ0ज0जा0 के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दूसरे लोगों को भी लाभ दिया जा सकता है। परन्तु प्राथमिकता गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले अ0 जा0/अ0 ज0 जा0 को दी जानी है। दो दिनों के अन्दर भूमि के जांचोपरान्त सूची की मांग की गई।

➢ **लातेहार अस्पतालः -**

माननीय विधायक, श्री प्रकाश राम द्वारा शिकायत की गई कि लातेहार अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। रात में डाक्टर नहीं रहते हैं, जिसके कारण मरीज का इलाज नही हो पाता है।सिविल सर्जन को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया।

➢ **कृषि विभागः -**

माननीय विधायक, श्री प्रकाश राम द्वारा शिकायत की गई कि कृषि प्रशिक्षण हेतु सूची उपायुक्त एवं प्रबंध पर्षद को नहीं दी जाती है।

- **दुरूप नदी पर छलका निर्माणः -**

वन विभाग द्वारा दुरूप नदी पर छलका का निर्माण कराया गया था जो एक साल में ही बह गया, जिसके कारण ग्राम सालवे के अतिरिक्त 7-8 गांव का आवागमन बाधित हो गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी(टेरिटोरियल) लातेहार से कहा गया कि उसकी जांच कराया जाय।

- **मकैयाटांड़ यात्री शेड का निर्माणः -**

मकैयाटांड़ यात्री शेड की जांच करने के पश्चात् ही निर्माण कराने का निदेश दिया गया। जांच श्री अरविंद मिश्र, प्रभारी पदाधिकारी, विकास करेंगे।

- **ग्रामोद्योग रोजगार योजनाः -**

खादी ग्रामोद्योग आयोग का ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के युवाओं के लिए छोटे उद्योग प्रारम्भ करने हेतु अखबार में प्रकाशित योजनाओं की छाया प्रति सभी सदस्यों को वितरित की गई। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 5-5 आवेदन पत्र सृजित कर भेजे ताकि बेरोजगार युवक/युवतियों को लाभ दिलाया जा सके।

- **पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माणः -**

माननीय विधायक, श्री प्रकाश राम से कहा गया कि लातेहार जिला के प्रखण्ड बालूमाथ, चन्दवा एवं बारियातु (बालूमाथ) में पुस्तकालय एवं वाचनालय निर्माण हेतु प्राक्कलन की आधी राशि विधायक निधि से दी गयी है शेष राशि अन्य मद से उपलब्ध कराई जाय ताकि उक्त योजनाओं का निर्माण कराया जा सके।

- **सोलर लैम्प का वितरणः -**

उपायुक्त, लातेहार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय सम विकास योजना से वित्तीय वर्ष 2005-06 में 12000 सोलर लैम्प का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में इस योजना से 13000 अतिरिक्त सोलर लैम्प बांटने का लक्ष्य रखा गया है। प्रबंध पर्षद द्वारा सर्वसम्मति से इसकी स्वीकृति दी गयी।

- **जैविक खादः -**

जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक ग्राम में जैविक खाद उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिलाकर वृहत पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा, जिसका उपयोग किसान अपने खेतों में कर सकेगें तथा उसके पश्चात् बाजार में भी बिक्री कर सकेगें। प्रशिक्षण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मद से दी जायगी।जलछाजन कार्यों के अंतर्गत क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराया जायेगा। इसे सर्व सम्मति से पारित किया गया।

➢ ***टाउन हॉल :-***

माननीय सांसद महोदय द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में एक-एक टाउन हॉल बनाने का निदेश दिया गया ताकि शादी/विवाद में लोगो को आसानी हो सके।

➢ ***सरइडीह जल आपूर्ति योजनाः-***

सरईडीह जल आपूर्ति योजना का जिर्णोद्धार कराने का निर्देश दिया गया।

➢ ***नेतरहाट जल आपूर्ति योजनाः-***

नेतरहाट जल आपूर्ति योजना का कार्यान्वयन तुरन्त करने का निदेश दिया गया।

➢ ***प्रबंध पर्षद द्वारा जनहित में निम्नांकित प्रस्तावों/ योजनाओं को कार्यान्वयन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः-***

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के वार्षिक बजट के अनुमोदन पर प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। परिशिष्ट- 4

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार द्वारा व्यय की गई राशि की सूची के अनुमोदन पर स्वीकृति प्रबंध पर्षद द्वारा की गई। परिशिष्ट-5

''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना'' अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त ग्राम सभा से पारित पंचवर्षीय योजनाओं की सूची का अनुमोदन निर्गत रूप से प्रबंध पर्षद द्वारा किया गया। परिशिष्ट-6

माननीय विधायक, श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा अनुसंशित प्रखंड लातेहार के ग्राम धनकारा में बकसा ढोढ़ा खिरिवर नदी में छलका निमार्ण की स्वीकृति प्रबंध पर्षद द्वारा प्रदान की गई। परिशिष्ट-7

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार से प्राप्त जिलों के विभिन्न नदियों पर सेतु निर्माण के अनुमोदन पर प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। परिशिष्ट-8

लघु सिचाई प्रमंडल, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन पर प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। परिशिष्ट-9

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, अनुदान, आधार भूत संरचना एवं स्वयं सहायता समूह गठन हेतु कार्यरत स्वंय सेवी संस्थाओं का घटनोतर स्वीकृति प्रबंध पर्षद द्वारा दी गई। परिशिष्ट-10

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत बैंकेवुल एवं सिचाई प्रक्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की धटनोतर स्वीकृति प्रबंध पर्षद द्वारा प्रदान की गई। परिशिष्ट-11

प्राचार्य सह संयोजन सामुदायिक पोलिटेकनिक लातेहार द्वारा सामुदायिक पोलिटेकनिक लातेहार में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन पर स्वीकृति प्रबंध पर्षद द्वारा की गई। परिशिष्ट-12

लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्वयं सहायता समूह गठन हेतु प्रस्तावित स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची का अनुमोदन पर स्वीकृती प्रबंध पर्षद द्वारा की गई। परिशिष्ट-13

'' राष्ट्रीय सम विकास योजना'' अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार द्वारा प्रस्तावित चेक डेम ,वियर, मध्यम सिचाई योजना एवं आहर निर्माण की सूची का अनुमोदन पर प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । परिशिष्ट-14

जिला योजनान्तर्गत प्रखंड बालूमाथ में व्यायामशाला-सह- वाचनालय के निर्माण की घटनोतर स्वीकृति प्रबंध पर्षद द्वारा प्रदान की गई। तथा व्यायामशाला -सह- वाचनालय निर्माण की, वारियातु ग्राम बालूमाथ प्रखंड एवं चंदवा प्रखंड के लिए स्वीकृति। परिशिष्ट-15

- ***अन्यान्यः -***

लातेहार जिला के महुआडांड़ के जोकी पोखर ग्राम में जिला योजना एवं अन्य योजना की समलित निधि से लातेहार जिला के हॉकी स्टेडियम निर्माण हेतु प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

लातेहार जिला मुख्यालय में इन्डोर स्टेडियम निर्माण हेतु भी प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। यह इन्डोर स्टेडियम जिला योजना मद एवं विधायक निधि से सम्मिलित रूप से कराया जायेगा।

लातेहार में ज्ञानतारा चौक निर्माण पर प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

नया समाहरणालय भवन में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिष्ठापन की साज-सज्जा पर व्यय हेतु प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

उप समाहर्ता प्रभारी विकास के लिए दूरभाष लगाने के लिए स्वीकृति प्रंबध पर्षद द्वारा दी गई।

आशुलिपिक के पद पर कार्य हेतु श्री अवधेश पासवान, पिता स्व. सहदेव पासवान, ग्राम-बानपुर, लातेहार के आवेदन पर संविदा के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ,लातेहार में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री मंगल चौधरी ग्राम -छिपादोहर -प्रखंड लातेहार, जिला लातेहार को चालक के पद पर 3000/- (तीन हजार) रू मासिक मानदेय पर कार्य करने की धटनोतर स्वीकृति प्रबंध प्रर्षद द्वारा प्रदान की गई। उन्हें प्रखंड लातेहार में प्रनिनियुक्त किया गया है

संविदा पर नियुक्त चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए वर्दी के कय की धटनोतर स्वीकृति प्रबंध पर्षद द्वारा दी गई।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा अवधि विस्तार पर प्रबंध पर्षद द्वारा अनुमोदित किया गया।

कमांक	कर्मी का नाम एवं पदनाम	मासिक मानदेय	पूर्व की अवधि	विस्तार की अवधि
1	अमित कुमार, डाटा इंट्री आपरेटर	5100.00	28.02.2006	28.08.2006
2	अनुपम कुमार, डाटा इंट्री आपरेटर	5000.00	28.10.2005	28.04.2006
3	इरफान अली, डाटा इंट्री आपरेटर	5000.00	04.12.2005	04.06.2006
4	जनेश्वर राम, डाटा इंट्री आपरेटर	4000.00		
5	नन्द किशोर ठाकुर, टंकक	4500.00	12.11.2005	12.05.2006
6	शांती तेलरा, टंकक	4500.00	12.11.2005	12.05.2006
7	मिनहाज आलम, ड्राइवर	3500.00	31.01.2006	31.07.2006
8	संतोष कुमार महली, ड्राइवर	3500.00	16.12.2005	16.06.2006
9	बुद्धेश्वर उरांव, ड्राइवर	3500.00	28.11.2005	28.05.2006
10	श्रीमति किसमती देवी, झाड़ूकश	1500.00	28.11.2005	28.05.2006
11	चद्र बाहाबुद राणा, रात्री प्रहरी	2500.00		
12	जितेन्द्र कुमार, अनुसेवक	2000.00		
13	कमलेश कुमार, अनुसेवक	2500.00		
14	मंगल चौधरी, चालक	3000.00		

पूर्व के प्रबंध पर्षद में लिये गये निर्णय के अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटरों को पूर्व की अवधि का पूर्ण भुगतान करने का सर्वसममति से निदेश लिया गया।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की कमी को देखते हुए जिला परिषद, लातेहार में अनुसेवक के पद पर कार्यरत श्री गोविन्द बैठा को अनुसेवक पर पर प्रतिनियुक्ति हेतु प्रबंध पर्षद द्वारा स्वीकृति दी गई।

श्री कमलेश कुमार, अनुसेवक बी.ए. ऑनर्स हैं। अतः इससे सहायक के रूप में स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्य लेने पर सहमति दी गयी इन्हें संविदा पर सहायक का वेतनमान (पूर्व स्वीकृति के अनुसार) देय होगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

विश्वास भाजन

उपायुक्त सह अध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
लातेहार।

ज्ञापांक- /वि. दिनांक-

प्रतिलिपिः - प्रबंध पर्षद के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
लातेहार।

ज्ञापांक- /वि. दिनांक-

प्रतिलिपिः - सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
लातेहार।